तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/2/25	पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त उप०। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी पक्ष की उपस्थिति भी सुनी गई। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन आदि का गवाहान के अध्यधीन किया। वाद पत्र मय किया गया। वास्तव वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा आवासीय कालोनी बनाकर अन्तिम कार्य उपयोग लिया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व के कब्जे का खण्डन किया गया। वास्तव मूल वाद शीर्षक बाबत के मद्दे पत्र लिखा है। मूल वाद के विस्तृत विवरण होने के उपरान्त भी प्रकरण का गुणावगुण निराकरण के लिये। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में न्यायालय द्वारा दिनांक 18/9/23 को जारी अन्तरिम आवाई निषेधाज्ञा आदेश को मूल वाद के निराकरण तक पुख्ता किया जाता है। पक्षः क्रमशः खुमार होकर नजर है कर दो। वाद तकमील पश्चात दाखिल दफ्तर लेखा। अजदाद पश्चात दो।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)